



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-588

New Delhi: 04.01.2019

Shri Dheeraj Kumar Sharma
S/o Sh. Subhash Chandra Sharma
Village- Sithroli, Post- Hathras Junction
Janpad-Hathras-204102
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 14.12.18 received in this office on 19.12.18.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 01 Sheet

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/वि०
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०/दूण्डला

दिनांक:- 26.12.2018.

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार की आर०टी०आई० दिनांक:- 11/12/2018 के प्रतिउत्तर के सम्बन्ध में।

1. 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रांसमीशन लाइन की एक टावर लगाने में उसकी फाउन्डेशन में वास्तविक प्रभावित क्षेत्र के अनुसार जितनी भूमि उसकी खुदाई के समय प्रभावित होती है उसी का वास्तविक मुआवजा उस खेत में खड़ी फसल का संयुक्त सर्वे करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जाता है।
2. 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रांसमीशन लाइन से प्रभावित किसान की अलग-अलग समय पर (1) फाउन्डेशन के समय (2) टावर इरेक्सन के समय तथा (3) तार बिछाने के समय अलग-अलग लगी हुई किसान के खेत में फसल का सर्वेक्षण तथा प्रभावित एरिया का जिला मण्डी समिति तथा कृषि विभाग से फसल की उत्पादकता एवं मौजूदा फसल के उसी समय के रेट की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर प्रभावित एरिया की गणना करने के बाद उचित मुआवजा दिया जाता है।
3. टावर लगाने के समय प्रभावित किसान की खेत में फसलों की क्षति की वास्तविक पैमाईश कॉन्ट्रेटर के प्रतिनिधि, एवं डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के प्रतिनिधि द्वारा तथा स्वयं किसान को संतुष्ट करने के बाद लेखपाल, कानूनगो तथा तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित कराने के बाद चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।
4. यह जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5. यह जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

सहायक परियोजना प्रबंधक/वि०
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०/दूण्डला